रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2012/वैशाख 21, 1934

No. 207] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2012/VAISAKHA 21, 1934

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2012

सा.का.नि. 352 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उप-धारा (3) के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास रखी असंदत्त और अदावाकृत रकमों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियम, 2012 है ।

(2) ये 20 मई, 2012 से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' से कंपनी अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है ;

(ख) 'ई-प्ररूप' से इन नियमों में विनिर्दिष्ट ई-प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) 'वित्तीय वर्ष' से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 की उपधारा (17) के अधीन यथा परिभागषित वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु उसमें परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उसका है ।

3. **असंदत्त और अदावाकृत रकमों के संबंध में जानकारी फाइल करना-**

प्रत्येक कंपनी (गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर बैंककारी कंपनियों सहित) वार्षिक साधारण बैठक के आयोजन के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के भीतर या उस तारीख को, जिसको अधिनियम की धारा 166 के उपबंधों के अनुसार उसका आयोजन किया जाना चाहिए था और तत्पश्चात् सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक प्रति वर्ष अधिनियम की धारा 205ग की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अदावाकृत रकमों का पता लगाएगी, अपनी स्वयं की वेबसाइट पर तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी या किसी अन्य वेबसाइट पर, जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ई-प्ररूप 5 आईएनवी के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला पृथकतया प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक एक विवरण या जानकारी अपलोड करेगी, अर्थात् :—

(क) राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के नाम और अंतिम ज्ञात पते ;

(ख) रकम की प्रकृति ;

(ग) वह रकम जिसका प्रत्येक व्यक्ति हकदार है ;

(घ) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए नियत तारीख ; और

(ङ) ऐसी अन्य जानकारी जो इस प्रयोजन के लिए सुसंगत समझी जाए :

परंतु 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जानकारी 31 जुलाई, 2012 तक फाइल की जाएगी ।

4. **ई-प्ररूप का सत्यापन-**

नियम 3 में निर्दिष्ट जानकारी भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखापाल अथवा कंपनी के कानूनी संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित और प्रमाणित की जाएगी ।

5. **जानकारी फाइल करने में व्यतिक्रम-**

यदि कोई कंपनी वेबसाइट पर जानकारी देने और अपलोड करने में असफल रहती है या गलत जानकारी देती और अपलोड करती है, तो वह कंपनी और उस कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, दायी होगा और ऐसे मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 629क के उपबंध लागू होंगे ।

[फा. सं. 5/10/2011-आईईपीएफ]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

प्ररूप 5 आईएनवी [विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास रखी असंदत्त और अदावाकृत रकमों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियम, 2012 के नियम 3 के अनुसरण में]	अदावाकृत और असंदत्त रकमों का विवरण

टिप्पण-1 कृपया इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर जनित किए जाने वाली अभिस्वीकृति पर यथावर्णित 'विनिधानकर्ता-वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें ।

टिप्पण-2* चिन्हित सभी खानों को आवश्यक रूप से भरा जाना है ।

1. (क) *कंपनी का कारपोरेट पहचान संख्यांक (सीआईएन) [ ] पहले भरा हुआ

(ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थिति संख्यांक (जीएलएन) [ ]

2. (क) कंपनी का नाम [ ]

(ख) कंपनी के रजिस्टीकृत कार्यालय का पता [ ]

(ग) कंपनी का ई-मेल पता [ ]

3. (क) * [ ] (दिन/मास/वर्ष) को समाप्त वित्तीय वर्ष

(ख) * साधारण वार्षिक बैठक की तारीख या नियत तारीख जो भी पूर्वत्तर हो [ ] (दिन/मास/वर्ष)

4. *क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास रजिस्ट्रीकृत है ○ हां ○ नहीं
5. *कंपनी के छोटे शेयरधारकों की संख्या
6. *कंपनी के छोटे जमाकर्ताओं की संख्या

7. अदावाकृत और असंदत्त रकमों के ब्यौरे

(क) *अदावाकृत और असंदत्त लाभांश की रकम	
(ख) * प्राप्त और प्रतिदाय के लिए शोध्य आवेदन धनराशि की रकम	
(ग) * परिपक्व जमा राशियां	
(घ) *परिपक्व डिबेंचरों की रकम	

(ङ) *ऊपर खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट रकमों पर प्रोदभूत ब्याज

(i) * असंदत्त लाभांश	
(ii) * प्रतिदाय के लिए शोध्य आवेदन राशि	
(iii) * कंपनियों के पास परिपक्व जमा	
(iv) * कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर	
कुल	

सत्यापन

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से, इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है ।

मुझे निदेशक बोर्ड संकल्प संख्यांक* [ ] तारीख [ ] (दिन/मास/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

निम्नलिखित द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक अथवा सचिव [ ]

*पदनाम [ ]

*निदेशक या प्रबंध निदेशक का निदेशक पहचान संख्यांक ; या
प्रबंधक का आय-कर स्थायी लेखा संख्यांक ; या सचिव का सदस्यता संख्यांक
यदि लागू हो या आय-कर स्थायी लेखा संख्यांक (कंपनी का/की
सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है, अपना आय-कर स्थायी लेखा
संख्यांक कोट कर सकेगा/सकेगी)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने

[ ]

के अभिलेखों से उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक (संलग्नकों) सहित) का सत्यापन कर लिया है और उन्हें सत्य तथा सही पाया है । मैं यह और प्रमाणीकृत करता हूं कि सभी अपेक्षित संलग्नक (संलग्नकों) को इस प्ररूप के साथ पूर्णतया संलग्न कर दिया गया है ।

*○ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या ○ लागत लेखापाल (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या ○ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या ○ कानूनी संपरीक्षक

*क्या ऐसोसिएट या फैलो है ○ एसोसिएट ○ फैलो

*सदस्यता संख्यांक या व्यवसाय संख्यांक का प्रमाण पत्र

सुधारें	जांच करें	पूर्व संवीक्षा	प्रस्तुत

यह ई-प्ररूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर इलैक्ट्रानिक ढंग से कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर लिया गया है ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2012

G.S.R. 352(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with sub-section (3) of Section 205C of that Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

Short title and Commencement.—

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012.

(2) They shall come into force with effect from 20th May, 2012.

2. **Definitions:**

In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Companies Act, 1956;

(b) 'eForm' means eform specified in the rules;

(c) Financial year means the financial year as defined under Sub-section (17) of Section 2 of the Companies Act, 1956;

(d) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning as assigned to them in the Act;

1681 GI/12-2

3. **Filing of information regarding unpaid and unclaimed amounts.—**

Every Company (including Non-banking Financial Companies and Residuary Non-banking Companies) shall, within a period of 90 days after the holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 166 of the Act and every year thereafter till completion of the seven years period, identify the unclaimed amounts as referred to in sub-section (2) of section 205C of the Act, separately furnish and upload on its own website as also on the Ministry's website or any other website as may be specified by the Government a statement or information through eForm 5 INV, separately for each year, containing following information, namely:-

(a) the names and last known addresses of the persons entitled to receive the sum;

(b) the nature of amount;

(c) the amount to which each person is entitled;

(d) the due date for transfer into the Investor Education and Protection Fund; and

(e) such other information as considered relevant for the purpose;

Provided that, for the financial year ended March 31, 2011, the information shall be filed, latest by the July 31, 2012.

4. **Verification of eForm.—**

The information referred to in rule 3 shall be duly verified and certified by a chartered accountant or a company secretary or a cost accountant practicing in India or by the statutory auditors of the company.

5. **Default in filing of information.—**

If a company fails to furnish and upload information or furnishes and uploads false information on the website, the company, and every officer of the company who is in default, shall be liable and in such case the provisions of Section 629A of the Companies Act, 1956 shall be applicable.

[F. No. 5/10/2011-IEPF]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

FORM 5 INV

Statement of unclaimed and unpaid amounts

[Pursuant to rule 3 of the Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012]

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2 - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1(a) *Corporate identity number (CIN) of company [ ] Pre-fill

(b) Global location number (GLN) of company [ ]

2(a) Name of the company [ ]

(b) Address of the registered office of the company [ ]

(c) e-mail ID of the company [ ]

3. (a) *Financial year ended [ ] (DD/MM/YYYY)

(b) *Date of annual general meeting (AGM) or Due date whichever is earlier [ ] (DD/MM/YYYY)

4. *Whether registered with Reserve Bank of India (RBI) ○ Yes ○ No

5. *Number of small shareholders of the company [ ]

6. *Number of small depositors of the company [ ]

7. Details of unclaimed and unpaid amounts

(a) *Amount of Unclaimed and unpaid dividend [ ]

(b) *Amount of application moneys received and due for refund [ ]

(c) *Amount of matured deposits [ ]

(d) *Amount of matured debentures [ ]

(e) Interest accrued on the amounts referred to in clause (a) to (d) above

(i) *Unpaid dividend [ ]

(ii) *Application money due for refund [ ]

(iii) *Matured deposit with companies [ ]

(iv) *Matured debentures with companies [ ]

Total [ ]

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number * [ ] dated * [ ] (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To be digitally signed by

Managing director or director or manager or secretary of the company [ ]

* Designation [ ]

* Director identification number of the director or Managing Director; or Income-tax permanent account number (income-tax PAN) of the manager; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN) [ ]

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

[ ]

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

*○ Chartered accountant (in whole-time practice) or ○ Cost accountant (in whole-time practice) or

○ Company secretary (in whole-time practice) ○ Statutory auditor [ ]

*Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

* Membership number or certificate of practice number [ ]

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.